प्रेस विज्ञप्ति

13/03/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 11.03.2026 को सुधीर दलसुखभाई कोटड़िया और उमंग शांतिभाई कोटड़िया को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मेसर्स क्यूएफओएन ऐप लिमिटेड और अन्य संबद्ध संस्थाओं द्वारा संचालित एक धोखाधड़ीपूर्ण डिजिटल निवेश योजना से संबंधित धन शोधन की जांच के सिलसिले में की गई है। आरोपियों को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष हाजिर किया गया और माननीय न्यायालय ने पीएमएलए के तहत आगे की जांच के लिए 20.03.2026 (8 दिन) तक उन्हें ईडी हिरासत में भेज दिया।

यह गिरफ्तारी 28.12.2024 को महाराष्ट्र के ठाणे शहर के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में सुधीर कोटड़िया, जयसुख सखारिया, उमंग कोटड़िया और अन्य के खिलाफ डिजिटल पोंजी निवेश योजना चलाने के आरोप में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं और एमपीआईडी अधिनियम, 1999 की धारा 3 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 1232/2024 के आधार पर शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपियों ने गुजरात और महाराष्ट्र के भोले-भाले निवेशकों को ऑनलाइन विज्ञापन देखने और एप्लिकेशन-आधारित डिजिटल गतिविधियों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने के बहाने 2% से 10.5% तक के अत्यधिक रिटर्न का वादा करके उक्त योजना में धन निवेश करने के लिए लुभाया। जांच में आगे पता चला कि नए निवेशकों से जुटाई गई धनराशि का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को रिटर्न देने के लिए किया गया, जबकि धनराशि का एक बड़ा हिस्सा आरोपियों द्वारा गबन कर लिया गया। निवेशकों की धनराशि आरोपियों से जुड़े फर्मों, संस्थाओं और व्यक्तियों के कई बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई और अंगड़िया ऑपरेटरों के जरिए नकद में भी हस्तांतरित की गई। अब तक की जांच से पता चला है कि उक्त धोखाधड़ी योजना के माध्यम से लगभग 183 करोड़ रुपये की अपराध-जनित धनराशि (पीओसी) अर्जित की गई है।

आगे की जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्ति मूल अपराध के साथ-साथ पीएमएलए जांच में भी फरार थे और जानबूझकर जांच से बच रहे थे। यह भी पता चला कि आरोपी दुबई (यूएई) भाग गए थे और बाद में नेपाल के रास्ते भारत लौट आए थे। निरंतर प्रयासों और खुफिया जानकारी के आधार पर की गई ट्रैकिंग के बाद, ईडी आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने में सफल रही, जिसके परिणामस्वरूप 11.03.2026 को उनकी गिरफ्तारी हुई।

अभियुक्त की कार्यप्रणाली और गिरफ्तारी को दर्शाने वाला फ्लो चार्ट:

इससे पहले, ईडी ने कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय रिकॉर्ड बरामद हुए और 2.51 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।